बंधुआ मजदूर की पहचान, मुक्ति और पुनर्वास हेतु टूलकिट

Human Liberty Network

ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क, उत्तर प्रदेश

दूरभाष : 9012640281

ई–मेल : humanlibertynetwork18@gmail.com

वेबसाइट : www.humanlibertynetwork.org

बंधुआ मजदूर की पहचान, मुक्ति और पुनर्वास हेतु टूलकिट

Human Liberty Network

ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क, उत्तर प्रदेश

दूरभाष : 9012640281

ई–मेल : humanlibertynetwork18@gmail.com

वेबसाइट : www.humanlibertynetwork.org

लेखन :
डॉ. एम. एम. रहमान

हिंदी अनुवाद :
रविन्द्र सिंह जादौन
संजय तिवारी

सम्पादनः
संजय गुप्ता
भूपेंद्र शांडिल्य
राजेंद्र कुमार

कॉपीराईटः
जन साधारण के लिए

चित्रांकनः
नंदिनी अग्रवाल

आर्थिक सहयोग :
फ्रीडम फण्ड

मुख पृष्ठ एवं अंतिम पृष्ठ के चित्र
ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क

आभार :
श्रम विभाग उत्तर प्रदेश
सैयद रिजवान अली,
डॉ. भानुजा सरन एवं
ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क के सभी सदस्य संस्था

मुद्रण :
चाइल्डहुड इनहेंसमेंट थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्शन, नई दिल्ली

डिजाइनर :
आर बी एच मीडिया डिजाइनर्स
दरियागंज नई दिल्ली–110002, मो. 9810985063

जयदीप गोविन्द, भा॰ प्र॰ से॰
महासचिव
Jaideep Govind, IAS
Secretary General

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
मानव अधिकार भवन. सी–ब्लॉक,
जीपीओ कम्पलेक्स, आईएनए, नई दिल्ली–110023 भारत
NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION
Manav Adhikar Bhawan, C-Block
GPO Complex, INA, New Delhi-110023 India

संदेश

भारत देश बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में विश्वपटल पर उभर रहा है, एवं कई वैश्विक मुद्दों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, वहीं दूसरी ओर देश के कई हिस्सों में गैर–कानूनी तरीके से चल रही बंधुआ मजदूरी प्रथा हमारे सभ्य समाज को आइना दिखाती है। बंधुआ मजदूरी एक प्रकार से मजबूर श्रम का एक विशिष्ट रूप है जिसमें एक व्यक्ति को अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए श्रम करने पर मजबूर किया जाता है। हालांकि, सभी बंधुआ मजदूरों को मजबूर नहीं किया जाता है लेकिन अधिकांश मजबूर श्रम प्रथाओं को बंधुआ प्रकृति या तो जबरदस्ती या मजबूरी से जोड़ा जाता है।

बंधुआ मजदूरी नए समतावादी सामाजिक, आर्थिक आदेश के साथ पूरी तरह से असंगत है जिसे हमने निर्मित करने का वादा किया है, यह न केवल बुनियादी मानवीय गरिमा के लिए एक विरोधाभासी है बल्कि संवैधानिक मूल्यों के सकल और विद्रोह का गठन भी है। अपने स्वार्थ के लिए दूसरे व्यक्ति को सदा के लिए बांधे रखना आदमी की क्रूरता है जो किसी विशेष देश या विशेष क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है बल्कि हजारों वर्षो से वैश्विक घटना के रूप में पाया गया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बंधुआ मजदूरी के मुद्दे पर बहुत गंभीर है और हर महीने देश के कई बंधुआ मजदूरी के मामलों में आयोग की टीम जांच करके उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास करती है। हमारी टीम ने यह महसूस किया है कि बंधुआ मजदूरी को रोकने हेतु जो कानून हमारे देश में हैं,उसकी जानकारी सरल शब्दों में लोगों तक पहुंचना आवश्यक है और ऐसा ही प्रयास श्रम विभाग उत्तर प्रदेश एवं ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क ने इस टूलकिट के माध्यम से किया है।

इस दस्तावेज में मुक्ति प्रक्रिया को बहुत ही सरल शब्दों में बताया गया है, साथ ही मुक्ति प्रक्रिया की बारीकियों एवं जिम्मेदारियों को भी आसान शब्दों में बताने का प्रयास किया है, जो कि इस टूलकिट का अत्यंत उपयोगी हिस्सा है। इसके अलावा सतर्कता समिति, जो कि बंधुआ मजदूरी प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, की संरचना एवं उनके कार्यों को भी बहुत ही संक्षिप्त में बताने का एक आवश्यक प्रयास किया है। मैं श्रम विभाग उत्तर प्रदेश और ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतनी उपयोगी टूलकिट बनाई, साथ ही उनके इस प्रयास की सराहना भी करता हूं।

जयदीप गोविन्द (आईएएस)
महासचिव
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली।

फोन : 91–11–24663211, 24663212 फैक्स : 91–11–24663262
Phone: 91-011-24663211, 24663212m Fax : 91-011-24663262
E-mail:jaideep.govind@nic.in, sgnhrc@nic.in

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
NATIONAL HUMANRIGHTS COMMISSION
मानव अधिकार भवन, सी-ब्लॉक, जीपीओ कम्पलेक्स आईएनए, नई दिल्ली-110023
Manav Adhikar Bhawan, C-Block GPO Complex, INA, New Delhi-110023
Phone (O) 011-24663466 * Fax : +91-11-24651329
E-mail:dir-nhrc@nic.in, www.nhrc.nic.in

डॉ. संजय दुबे
निदेशक (प्रशासन एवम् नीति अनुसंधान)
Dr. Sanjay Dubey
Director (Administration & Policy Research)

संदेश

बंधुआ मजदूरी एक अमानवीय कृत्य है, जो बंधुआ मजदुर को उसके सभी मानव अधिकारों से दूर कर देता है। किसी भी सभ्य समाज के लिए यह प्रथा एक कुठाराघात है। भारत ही नहीं विश्व के कई विकसित देशों में आज भी यह प्रथा गैर–कानूनी तरीके से व्याप्त है। हालांकि बंधुआ मजदूरी के खिलाफ कई अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हैं जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किये हैं। इसके अलावा भारत में भी बंधुआ मजदूरी को रोकने हेतु कानून हैं; फिर भी यह कुप्रथा कई जगह आज भी मौजूद है।

बंधुआ मजदूरी प्रथा को रोकने हेतु कानून के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी समस्या आती है, बंधुआ मजदूरी की परिभाषा को समझना और उसके आधार पर बंधुआ मजदूर की पहचान करना। श्रम विभाग उत्तर प्रदेश एवं ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क ने जो यह टूलकिट बनायी है; इसमें बंधुआ मजदूरी की परिभाषा को बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, जिसका उपयोग कर के श्रम विभाग के अधिकारी बंधुआ मजदुर की पहचान आसानी से कर सकते हैं। साथ ही उन्हें पुनर्वास करने हेतु जो प्रक्रिया बतायी है, वह भी काफी उपयोगी है।

बंधुआ मजदूरी की समस्या को समाप्त करने का जो चरणबद्ध विवरण है, वह भी अत्यंत सरल एवं उपयोगी है। श्रम विभाग उत्तर प्रदेश एवं ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क द्वारा बनायी गयी यह टूलकिट बंधुआ मजदूरी के खिलाफ एक प्रशंसनीय कदम है जिसके लिए मैं इन्हें शुभकामनायें देता हूँ; साथ ही यह आशा करता हूँ कि श्रम विभाग के अधिकारी इसका उपयोग करके बंधुआ मजदूरी प्रथा को समाप्त करने का सकरात्मक प्रयास करेंगे।

संजय दुबे

डॉ संजय दुबे
(निदेशक)
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली

डॉ. ओंकार शर्मा, के.श्र.से.
Dr. ONKAR SHARMA, cls
उप.मुख्य श्रम आयुक्त (के)
Dy. Chief Labour Commissioner (C)

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
मुख्य श्रम आयुक्त (कें.) कार्यालय
श्रम एवं रोजगार मंत्रलय
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
Government of India
O/o Chief Labour Commissioner (C)
Ministry of Labour & Employment
Shram Shakti Bhawan,
Rafi Marg, New Delhi-110001
E-Mail: onkar.sharma64@nic.in
ph.: 011-23710255, Mob.: 9868241180

संदेश

लगभग 7000 वर्ष पूर्व हमारे वेदों में ये लिखा गया था कि किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं होगा कि वह किसी अन्य व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना काम करवा सके अर्थात् किसी को बंधुआ बनाकर नहीं रखा जा सकता। वेदों में लिखी यह बात सीधे सीधे यह दर्शाती है कि हमारे यहां उस समय भी यह अमानवीय प्रथा थी इसीलिए इस प्रथा को रोकने हेतु प्रावधान किये गए।

अमेरिका के राष्ट्रपति रहे अब्राहम लिंकन ने भी इस प्रथा को रोकने हेतु विश्वस्तर पर प्रयास किये। ऐसे कई अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है जिस पर भारत ने हस्ताक्षर कर के यह माना कि भारत में इस प्रथा को रोकेंगे एवं पूरी तरह से समाप्त करेंगे। भारत की संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था भी बंधुआ मजदूरी को रोकने व समाप्त करने की बात कहती है पर यह एक सत्य है कि आज भी हामरे देश में बंधुआ मजदूर की व्यवस्था कुछ क्षेणों में है। हालांकि अब पहले की तरह हाथ पैरों में बेड़ियां डाल कर किसी को काम नहीं कराया जाता पर कई अन्य अदृश्य बड़ियां आज भी है।

ह्यमून लिबर्टी नेटवर्क बंधुआ मजदूर प्रथा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में श्रम विभाग के साथ मिलकर प्रयासरत हैं मैंने इनके प्रयासों को नजदीक से भी देखा है निश्चित ही इनके प्रयास सही दिशा में लगे है और जमीनी स्तर से लेकर यह कानूनी प्रवर्तकों, नीति निर्माताओं तक के साथ यह बंधुआ मजूदर प्रथा को समाप्त करने काम कर रहे हैं।

इसी दिशा में ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क एवं श्रम विभाग उत्तर प्रदेश ने जो यह दस्तावेज (टूलकिट) बनाया है वो एक सराहनीय प्रयास है क्योंकि बंधुआ मजदूरी व्यवस्था एवं उसके कानूनी पहलुओं को समझना काफी मुश्किल है जिसको इन्होंने काफी सरल भाषा में बताया है। हालांकि इनका यह प्रयास श्रम विभाग के साथियों की मदद तो करेगा ही बल्कि आम आदमी भी इसे पड़कर अपनी समझ बना सकता है। इस टूलकिट में मुक्त हुए बंधुआ मजदरों को पुनर्वासित करने हेतु जो जानकारी दी है, वो बहुत ही उपयोगी है इसके माध्यम से यह समझा जा सकता है कि मात्र आर्थिक धनराशि ही पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं बल्कि इसके लिए मुक्त बंधुआ मजदूर को सामाजजिक एवं मानसिक रूप से भी पुनर्वासित किया जाना चाहिए साथ ही अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़ने वाली जानकारी भी पुनर्वास में सहयोगी होगी। दस्तावेज के अंत में व्यवहारात्मक चुनौतियां व उनके व्यवहात्मक सुझाव भी महत्वपूर्ण है जो कि व्यवहारिक प्रयासों की भी बात करती है।

ओंकार शर्मा

-डॉ. ओंकार शर्मा, के.श्र.से.
उप-मुख्य श्रम आयुक्त (के.)

डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय

Dr. Ram Manohar Lohiya National Law University

धर्मसंस्थापनार्थाय

संदेश

बंधुआ श्रम प्रथा एक प्राचीन एवं अमानवीय प्रथा है जो कि भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक अर्थव्यवस्था पर एक सवाल खड़ा करती है क्योंकि आज भी यह प्रथा गैर कानूनी तरह से अस्तित्व में है। आज भी बंधुआ श्रमिकों का अन्य श्रमिकों से अधिक शोषण होता है और वे न केवल कानून में निधारित कार्यों के घंटे से अधिक कार्य करते हैं बल्कि बहुत ही कम वेतन या बिना वेतन के अत्यंत दयनीय स्थिति में कार्यरत है।

भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने बंधुआ प्रथा को समाप्त करने हेतु विभिन्न प्रयास किये हैं जिसमें बंधुआ श्रम प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976 एवं बंधुआ मजदूरों के पुनर्वासन हेतु केंद्रीय योजना महत्वपूर्ण कदम है।

ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क जो कि उत्तर प्रदेश में बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करने एवं मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वासित करने हेतु प्रयासरत् है, ने बहुत ही सरल एवं आम बोल-चाल की भाषा में बंधुआ मजदूरों की पहचान, मुक्ति एवं पुनर्वासन हेतु एक टूलकिट बनाई है जो कि एक सराहनीय कार्य है, क्योंकि अधिकांशतः लोग कानून की कठिन भाषा को समझने में असमर्थ होते हैं साथ ही शासकीय योजनाओं में जो भाषा होती है वह भी आम लोगों के लिए समझना कठिन होता है और इस टूलकिट के माध्यम से वह समस्या समाप्त हो जायेगी ऐसी मेरी आशा है।

इसके अतिरिक्त कानून के हिसाब से किसे बंधुआ मजदूर कहा जाए यह इस टूलकिट में परिभाषाओं के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है साथ ही एक टेबल के माध्यम से इसको और भी सरल बना दिया गया है। साथ ही मुक्ति अभियान के समय किसकी क्या जिम्मेदारी होगी यह भी इस टूलकिट में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है। टूलकिट का सबसे प्रभावी हिस्सा पुनार्वासन का है क्योंकि बहुत ही सरल एवं स्पष्ट भाषा में मुक्त किये गए मजदूरों के पुनर्वासन का तरीका इसमें बताया गया है।

मैं ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क एवं श्रम विभाग उत्तर प्रदेश के इस प्रयास की सराहना करता हूं, साथ ही इस आशा के साथ बधाई देता हूं कि यह टूलकिट न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि भारत के अन्य राज्यों में भी बंधुओं मजदूरी प्रथा को समाप्त करने में एक उपयोगी दस्तावेज सिद्ध होगा।

डॉ. के. ए. पाण्डेय
एसोसिएट प्रोफसर, परियोजना निदेशक,
बाल संरक्षण परियोजना, उ. प्र.

एल.डी.ए. कानपुर रोड योजना, लखनऊ–226 012
L.D.A., Kanpur Road Scheme, Lucknow-226012
दूरभाष सं. 0522–2425902–903, टेलीफैक्सः 0522–2422841
Phone No. 0522–2425902–903 Telefax: 0522–2422841

डा. सुधीर एम. बोबडे
आई. ए. एस.
श्रमायुक्त, उ.प्र.

श्रमायुक्त, कार्यालय
जी. टी. रोड़, कानपुर।

प्राक्कथन

बंधुआ मजदूरी एक ऐसी अमानवीय प्रथा है, जिसका उपयोग शोषक जमींदारों या साहूकारों द्वारा अवैतनिक श्रम प्राप्त करने के लिए एक चाल के रूप में किया गया है। हालॉकि यह प्रथा भारत के लिए नई नहीं है, यह दुनिया के कई हिस्सों में विभिन्न रूपों में प्रचलित है। भारत में प्रचलित विभिन्न अन्य सामाजिक बुराइयों की तरह, बंधुआ मजदूरी भी कलंक की भॉति है।

समाज के गरीब तबके के व्यक्ति हमेशा अपने भरण–पोषण के लिए मुंह ताकते रहते है और इस उद्देश्य से वे मकान मालिक या साहूकार से कर्ज लेते है और कर्ज के भुगतान के रूप में अपना श्रम बल प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाते है। बंधुआ मजदूरी न केवल कृषि क्षेत्र में प्रचलित है, शहरी क्षेत्रों में भी कई क्षेत्रों जैसे खनन और ईंट भट्ठा उद्योग आदि में भी इसका प्रचलन है। शहरी क्षेत्रों में प्रवासी मजदूरों को बिना किसी शर्त अथवा नाममात्र के पारिश्रमिक के लिए अपना श्रम बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश एंव ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क ने इस कुरीति को समाप्त करने हेतु संकल्प लिया है। इसी क्रम में बंधुआ श्रम प्रथा पर रोकथाम लगाने हेतु ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क के सहयोग से एक टूलकिट बनाया है, जिसका उपयोग करके श्रम विभाग के अधिकारीगण एंव अन्य घटक, बंधुआ मजदूर की पहचान आसानी से कर सकेंगे तथा बंधुआ मजदूरी के मामले में पीड़ित को विधिक सहायता दिलवाने में सहायक होंगे।

श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश एंव ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क द्वारा बनायी गयी यह टूलकिट, बंधुआ मजदूरी के खिलाफ एक प्रशंसनीय कदम है एंव इसके लिए मैं ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क को शुभकामनाएं देता हूॅ।

मैं आशा करता हूँ कि श्रम विभाग के साथी इसका उपयोग करके बंधुआ मजदूरी प्रथा को जड़ से समाप्त करने में सफल होंगे।

(डा. सुधीर एम. बोबडे)

नोट्स

विषय सूची

क्रम सं.	विषय	पेज नं.
	संदेश	iii-vii
	टूल किट का उद्देश्य	2
भाग 1	बंधुआ मजदूर प्रथा के उन्मूलन हेतु तकनीकी एवं रणनीतिक कदम	3
	पहला कदम–बंधुआ मजदूर और बंधुआ मजदूरी प्रथा	4
	दूसरा कदम–बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम – 1976 – मुख्य विशेषताएं	6
	तीसरा कदम– बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम – 1976 के क्रियान्वयन के तरीके	7
	चौथा कदम–बंधुआ मजदूर का चिन्हीकरण	8
	पंचवा कदम– मुक्ति (रेस्क्यू) की प्रक्रिया और कार्यवाही	9
	छठा कदम– बंधुआ मजदूरों के चिन्हीकरण के समय होने वाली कार्यवाही	10
	सातवां कदम– समरी ट्रायल	13
भाग 2	बंधुआ मजदूरों को मुक्त करने के लिए कुछ अन्य श्रम कानून	14
भाग 3	मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों का पुनर्वासन	15
भाग 4	सतर्कता समिति	17
भाग 5	मानक संचालन प्रक्रिया का सारांश	18
भाग 6	चुनौतियां एवं सुझाव	21
भाग 7	'फ्लो चार्ट'	24

इस टूल किट का उद्देश्य है :

☞ श्रम विभाग के अधिकारियों एवं कर्मियों को बंधुआ मजदूर प्रथा के प्रभावी उन्मूलन हेतु संबंधित क़ानूनी एवं प्रक्रियात्मक कार्यवाही की जानकारी को सरल एवं समग्र रूप से परिचित कराना एवं उनकी जानकारी की वृद्धि करना।

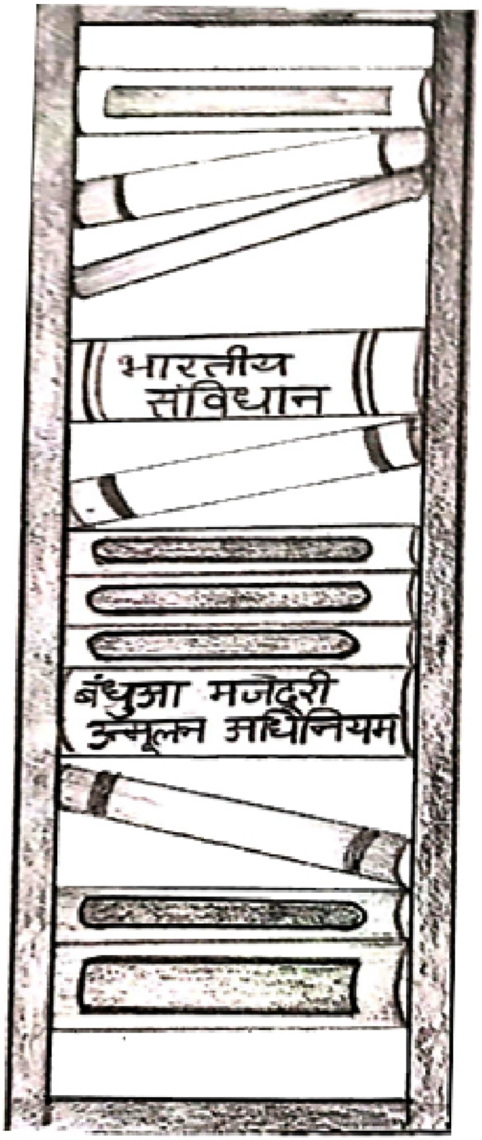

इस टूलकिट में –

☞ बंधुआ मजदूर प्रथा के उन्मूलन हेतु कानूनी प्रावधानों का विवरण है;

☞ बंधुआ मजदूर उन्मूलन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु तकनीकी एवं रणनीतिक जानकारी है;

☞ अनुभव के आधार पर कुछ सुझाव हैं।

☞ प्रक्रिया को आसानी से समझने हेतु 'फ्लो चार्ट'

यह टूलकिट 'जानना, समझना और लागू करना' के सिद्धांत पर आधारित है, अतः इस टूलकिट से अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु कृपया सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ क्रमबद्ध रूप से इसका अध्ययन करें और इसमें दिए गए सुझावों का पालन करें।

भाग–1

बंधुआ मजदूर प्रथा का उन्मूलन तकनीकी एवं रणनीतिक कदम

बंधुआ मजदूर प्रथा के पूर्णरूप से उन्मूलन हेतु ''बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम–1976'' को संसद द्वारा 25 अक्टूबर, 1975 को पारित किया गया।

बंधुआ मजदूर प्रथा के उन्मूलन हेतु 7 महत्वूपर्ण कदम हैं :

☞ **पहला कदम**– बंधुआ मजदूर और बंधुआ मजदूर प्रथा को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना;

☞ **दूसरा कदम**– बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम–1976 की जानकारी होना;

☞ **तीसरा कदम**– बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम–1976 के क्रियान्वयन के तरीके को जानना;

☞ **चौथा कदम**– बंधुआ मजदूर चिन्हीकरण की प्रक्रिया को समझना;

☞ **पांचवा कदम**– बंधुआ मजदूर से मुक्ति (रेस्क्यू) के लिए प्रभावी प्रक्रिया एवं कार्यवाही को सुनिश्चित करना;

☞ **छठा कदम**– बंधुआ मजदूरों के चिन्हीकरण के समय होने वाली कार्यवाही व्यवस्थित तरीके से लागू करना;

☞ **सातवां कदम**– कानूनी कार्यवाही (समरी ट्रायल) को सुनिश्चित करना।

बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन की तरफ बढ़ाया गया आपका प्रत्येक संवेदनशील कदम, किसी बंधुआ मजदूर को लंबे समय से चल रहे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक उत्पीड़न से मुक्त जीवन प्रदान कर सकता है।

पहला कदम – बंधुआ मजदूर और बंधुआ मजदूरी प्रथा

बंधुआ मजदूर प्रथा का अर्थ है :

एक ऐसी बाध्यकारी या आंशिक रूप से बाध्यकारी व्यवस्था से है, जिसके अन्तर्गत एक देनदार (ऋणी), लेनदार से इस आशय का एक समझौता (करार) करता है, या किया है, या माना जाता है कि उसने ऐसा समझौता किया है जो कि निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक कारणों के आधार पर हो सकता है–.

- देनदार (ऋणी) या उसके पूर्वजों द्वारा लिये गये किसी अग्रिम ऋण (भले ही अग्रिम ऋण का दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हो या न हो) और ऐसे किसी अग्रिम ऋण पर देय ब्याज के बदले में; या
- किसी परम्परागत रिवाज़ या सामाजिक दायित्व, या उत्तराधिकार में प्राप्त कोई बाध्यकारी दायित्व के अनुसरण में; या
- देनदार (ऋणी) या उसके पूर्वजों द्वारा प्राप्त किसी आर्थिक (प्रतिफल) के लिए; या
- किसी विशेष जाति या समुदाय में देनदार (ऋणी) जन्म लेने के कारण।

बंधुआ मजदूर का अर्थ :
बंधुआ मजदूर प्रथा के अंतर्गत किया गया कोई श्रम या की गई कोई सेवा।

बंधुआ मजदूर :
ऐसा मजदूर, जो बंधुआ ऋण लेता है, या लिया है, या जिसके बारे में यह माना जाता है कि उसने ऐसा ऋण लिया।

बंधुआ ऋण का अर्थ :
ऐसा अग्रिम ऋण; जो बंधुआ मजदूर प्रथा के अंतर्गत या उसके अनुसरण में बंधुआ मजदूर द्वारा लिया जाता है; या लिया गया है; या यह माना जाता है कि उसने ऐसा ऋण लिया है।

उपरोक्त समझौता (करार) के परिणाम देनदार (ऋणी) –

- ☞ किसी निश्चित या अनिश्चित अवधि या काल के लिए लिया, बिना वेतन या नाममात्र के वेतन पर स्वयं या अपने परिवार या अपने ऊपर आश्रित किसी सदस्य के द्वारा लेनदार या लेनदार के लाभ (फायदे) के लिए मजदूर (श्रम) या सेवा करेगा; या
- ☞ वह अपने रोजगार या अपनी जीविका के अन्य साधनों की स्वतंत्रता को खो देगा; या
- ☞ वह भारत राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से कहीं भी आने–जाने के अधिकार को खो देगा; या
- ☞ वह अपने संपत्ति या अपने या अपने परिवार या आश्रित के श्रम से प्राप्त उत्पाद को विनियोजित करने या बाजार मूल्य पर बेचने का अपना अधिकार खो देगा।
- ☞ बंधुआ मजदूरी प्रणाली के अंतर्गत (1). बलात श्रम या आंशिक रूप से बलात श्रम व्यवस्था (जिसके अधीन देनदार (ऋणी) को किसी भी ऋण को चुकाने में असफल होने की स्थिति में जबरन मजदूरी करनी पड़ सकती है) एवं (2). न्यूनतम वेतन अधिनियम– 1948 के तहत निर्धारित न्यूनतम वेतन का भुगतान न होना, भी सम्मिलित है।

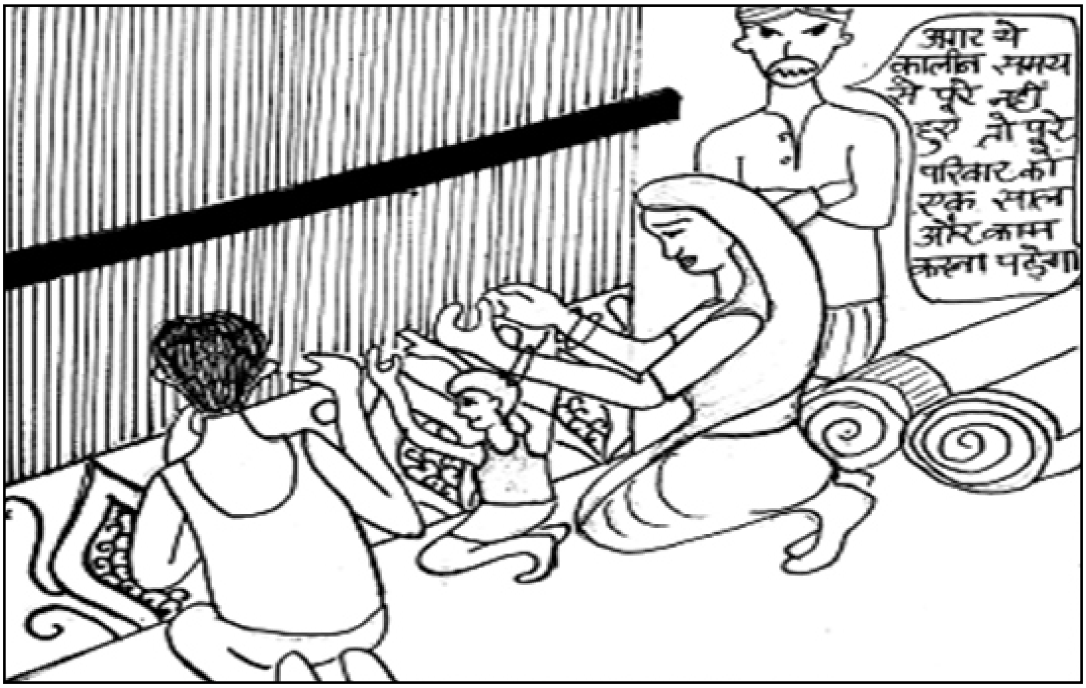

दूसरा कदम - बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम- 1976 की प्रमुख विशेषताएं

- बंधुआ मजदूर प्रथा पूरी तरह से प्रतिबंधित है;
- किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम ऋण किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकता है;
- यह अधिनियम किसी भी प्रथा, परंपरा, अनुबंध या समझौते के अंतर्गत बंधुआ मजदूर प्रथा के अभ्यास को संपूर्ण रूप से प्रतिबंधित करता है;
- इस अधिनियम के प्रारम्भ (क्रियान्वयन) होने के बाद, किसी भी बंधुआ ऋण के भुगतान करने के लिए बंधुआ मजदूर के सभी दायित्व समाप्त समझे जायेंगे;
- इस अधिनियम के अनुसार बंधुआ ऋण की वसूली के लिए किसी भी प्रकार का मुकदमा, कार्यवाही, किसी भी सिविल न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता है;
- यदि बंधुआ मजदूर की चल संपत्ति की कोई कुर्की या जब्ती हुई है, तो उस सम्पत्ति को बंधुआ मजदूर को वापस किया जाएगा;
- भले ही बंधुआ मजदूर की कोई संपत्ति इस अधिनियम के लागू होने से पहले किसी भी लेनदार द्वारा संलग्न या जब्त की गई हो, तो ऐसी संपत्ति को बंधुआ मजदूर या उसके परिवार के किसी सदस्य को वापस किया जाना चाहिए;
- इस अधिनियम के प्रारम्भ (क्रियान्वयन) के साथ ही, प्रत्येक बंधुआ मजदूर; जिन्हें सिविल कारागार (जेल) में बंद किया गया है, संबंधित न्यायालय के फैसले के पूर्व या पश्चात हिरासत से तुरंत रिहा किया जायेगा (धारा 6.2);
- बंधुआ मजदूर की सभी गिरवीं सम्पत्तियां बंधुआ मजदूरों को यथा शीघ्र वापस किया जाना चाहिए;
- इस अधिनियम के प्रारम्भ (क्रियान्वयन) के साथ ही, किसी मुक्त बंधुआ मजदूर को उसके रिहाइशी घर या आवासीय परिसर (जिसमें इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले से रह रहा था), से बेदखल नहीं किया जा सकता है, यदि बेदखल किया गया है, तो यथाशीघ्र उसे पुनः वापस किया जाएगा;
- एक मुक्त बंधुआ मजदूर से कोई भी लेनदार अपने बंधुआ ऋण के बदले में कोई भुगतान नहीं ले सकता है, और किसी भी प्रकार से इसका उल्लंघन करना, दण्डनीय होता है।

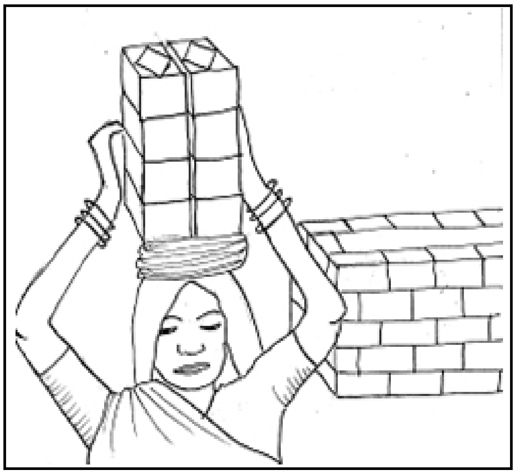

बंधुआ मजदूर और बंधुआ मजदूर प्रथा को सही प्रकार से परिभाषित करके ही उपरोक्त अधिनियम को समुचित और बेहतर समझ के साथ लागू किया जा सकता है।

तीसरा कदम – बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम – 1976 के क्रियान्वयन के तरीके

बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम–
1976 के क्रियान्वयन के निम्नलिखित तरीके हैं :

1. सर्वप्रथम अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार बंधुआ मजदूरों की पहचान करना;
2. बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम– 1976 का उल्लंघन करने वाले अपराधियों का न्यायालय में ट्रायल और न्यायालय द्वारा निर्धारित सजा का सुनिश्चितीकरण;
3. मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों को किसी भी बंधुआ ऋण को चुकाने के उसके हर दायित्व से मुक्त करना;
4. मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों की कोई संपत्ति, जिसे किसी बंधुआ ऋण के बदले में जब्त कर लिया गया हो, को उसे वापस करना;
5. किसी बंधुआ ऋण या उसके किसी भी भाग की वसूली के लिए कोई भी मुकदमा किसी भी सिविल न्यायालय में या किसी प्राधिकरण के समक्ष नहीं चलेगा या प्रस्तुत होगा; यदि ऐसा हो रहा है तो उसे विधिपूर्ण तरीके से समाप्त कराना या रोकना।
6. बंधुआ मजदूर की किसी भी जब्त चल–संपत्ति का वापस उसे कब्जा दिलाना।

बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम– 1976 के क्रियान्वयन का प्रत्येक तरीका किसी बंधुआ मजदूर के मुक्ति के मार्ग को इंगित करता है। अतः इसके क्रियान्वयन में उपरोक्त प्रत्येक तरीका महत्वपूर्ण हो जाता है।

चौथा कदम – बंधुआ मजदूरों का चिन्हींकरण

☞ इस टूलकिट में पहले कदम के अंतर्गत बंधुआ मजदूर की परिभाषा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। बंधुआ मजदूर की परिभाषा और इसके परंपरागत रूप से प्रचलित नामों के आधार पर, बंधुआ मजदूरों का चिन्हींकरण करके, बंधुआ मजदूर को कहीं भी मुक्त किया जा सकता है।

☞ सामान्यतः उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बंधुआ मजदूर प्रथा की घटनाओं की सूचना दर्ज हुई है।

☞ जब एक बार बंधुआ मजदूर या मजदूरों की पहचान हो जाती है तो बंधुआ मजदूर प्रथा के उन्मूलन के पाँचवें और छठवें कदम में उल्लेखित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए।

बंधुआ मजदूर मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यवसायों और गतिविधियों में केंद्रित होती हैं –

- ईंट भट्ठा उद्योग
- निर्माणाधीन गतिविधियाँ
- घरेलू कार्य
- कालीन बुनाई उद्योग
- चूड़ी बनाना
- कृषि कार्यों में
- पत्थर की खदानों में
- वन (जंगल) उत्पादों से संबंधित कार्य
- सेक्स वर्क।

बंधुआ मजदूर प्रथा की जड़ें सामाजिक रूप से अत्यन्त गहरी हैं, जिसके कारण बंधुआ मजदूरों का चिन्हींकरण आसान कार्य नहीं है। एक व्यापक और गहन दृष्टिकोण, विविधतापूर्ण सतत् प्रयास के द्वारा चिन्हीकरण की प्रक्रिया को भलीभाँति सम्पन्न किया जा सकता है। संभवतः सभी बाल श्रमिक बंधुआ मजदूर की श्रेणी में आयेंगे।

पांचवाँ कदम : मुक्ति (रेस्क्यू) प्रक्रिया और कार्यवाही

- ☞ बंधुआ मजदूर एक गैरकानूनी एवं अमानवीय प्रथा है, जो कि बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम–1976 के अस्तित्व में आने के साथ ही समाप्त कर दी गयी है।

- ☞ इस प्रथा का उन्मूलन काफी हद तक और कभी–कभी पूरी तरह से सरकार और उसकी मशीनरी पर निर्भर करता है, अतः सरकारी मशीनरी जितना अधिक प्रभावी होगी, देश में बंधुआ मजदूर प्रथा के उन्मूलन की प्रक्रिया उतनी ही अधिक श्रेष्ठ होगी।

बंधुआ मजदूर के उन्मूलन की प्रक्रिया में शामिल बंधुआ मजदूरों का चिन्हांकन करने वाली एजेंसियां निम्नलिखित हैं–

- जिलाधिकारी या नामित अधिकारी
- सतर्कता समिति
- पुलिस; या
- स्वयं सेवी संगठन (बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु केंद्रीय योजना–2016 के तहत बंधुआ मजदूरों के चिन्हांकन हेतु किए जाने वाले सर्वे में स्वयंसेवी संगठनों से मदद ली जा सकती है।)

बंधुआ मजदूरों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया एवं उनकी मुक्ति (रेस्क्यू) की कार्यवाही में जहां सरकारी एजेंसियों के मध्य बेहतर तालमेल की आवश्यकता है, वहीं इसमें स्थानीय स्वयं सेवी संगठनों एवं प्रतिबद्ध नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करके इसे और प्रभावी बनाया जा सकता है।

छठा कदम : बंधुआ मजदूरों के चिन्हीकरण के समय होने वाली कार्यवाही

सूचना

बंधुआ मजदूर प्रथा के घटित होने की सूचना किसी भी संबंधित व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है; जैसे–

- ✓ स्वयं बंधुआ मजदूर द्वारा
- ✓ कोई भी व्यक्ति जिसे बंधुआ मजदूरों की चिंता है
- ✓ सरकारी कर्मचारियों द्वारा
- ✓ पंचायत के सदस्यों द्वारा
- ✓ पुलिस अधिकारियों द्वारा
- ✓ स्वयंसेवी संगठन या उसके कार्यकर्ता द्वारा।

प्रारंभिक जाँच :

- ❖ सर्वप्रथम एक मुक्ति दल (रेस्क्यू टीम) का गठन करना चाहिए;
- ❖ मुक्त कराने वाले दल द्वारा कार्यस्थल का दौरा करके जाँच प्रक्रिया प्रारम्भ कर देनी चाहिए;
- ❖ जाँच की कार्यवाही त्वरित और गोपनीय होगी; अन्यथा नियोक्ताओं द्वारा बंधुआ मजदूरों को छुपाया या संबंधित साक्ष्यों को मिटाया जा सकता है।
- ❖ मुक्ति दल का गठन बहुत ही महत्वूपर्ण है; जो कि समर्पित अधिकारियों और व्यक्तियों के साथ ही बनाया जाना चाहिये।

बंधुआ मजदूर की सूचना प्राप्त होने के बाद बंधुआ मजदूर के बचाव और पुनर्वास का काम एक जिम्मेदार अधिकारी को सौंपा जाता है, जो पदभार ग्रहण करेगा और आगे की पूछताछ जारी रखेगा।

बचाव (रेस्क्यू दल) :

- जिलाधिकारी का एक प्रतिनिधि
- पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित एक पुलिस अधिकारी
- श्रम अधिकारी
- परिसर को सुरक्षित/घेराबंदी हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस बल
- दो या दो से अधिक महिला कर्मचारी
- एक पुलिस फोटोग्राफर
- दो स्वतंत्र गवाह जिनमें एक महिला होनी चाहिये
- शिकायतकर्ता
- मुक्त किए गये मजदूरों के परामर्श और अन्य सहायता के लिए सामाजिक कार्यकर्ता या सामाजिक सदस्य
- अन्य कोई आवश्यक व्यक्ति।

बंधुआ श्रम अवमुक्त कराने की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण कदम है। पुनर्वास की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि कितने व्यवस्थित ढंग से बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए मुक्ति दल को बहु–विषयक होना चाहिए।

कार्यस्थल पर कार्य :

❖ जहां पर बंधुआ मजदूरों को चिन्हित किया गया है, वहां की भौतिक और सामाजिक दोनों प्रकार की परिस्थितियों की जाँच करना;

❖ प्रारंभिक जांच करने के लिए लिखित और फोटोग्राफिक विवरण सबसे अच्छा तरीका होगा;

❖ जिस जगह (परिसर) पर बंधुआ मजदूरों की पहचान की गई है, उस जगह (परिसर) के मालिक को नोटिस जारी किया जाना चाहिए;

❖ मुक्ति (रेस्क्यू) के तुरंत बाद बचाए गए श्रमिकों को आगे की पूछताछ के लिए कार्यस्थल से किसी सुरक्षित स्थान पर सुरक्षित पहुंचाया जाना चाहिए।

अधिकारी/एजेंसियां, जिन्हें कार्यस्थल पर उपस्थित होना चाहिए:

- पुलिस के अधिकारी;
- व्यक्ति/संगठन; जिन्होंने प्रशासन को सूचित किया है;
- तहसीलदार/या कोई अन्य अधिकारी; जिन्हें बचाव (रेस्क्यू) का कार्य सौंपा गया है।

ऊपर गठित मुक्ति दल को कार्य स्थल पर क्या जाँच करनी चाहिए ?

✓ सर्वप्रथम सूचना की जाँच हेतु निम्नलिखित व्यवस्थाएं करनी चाहिए;

✓ स्थान {जहां पर बचाव (रेस्क्यू) होना है} की पहचान करना;

✓ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना;

✓ मुक्त होने वाले मजदूरों हेतु परिवहन की व्यवस्था करना।

✓ केस से संबंधित दस्तावेजों जैसे– मस्टररोल, पगार रजिस्टर जुर्माना, कटौती और अग्रिम पगार रजिस्टर आदि का सत्यापन करना और इन दस्तावेजों के फोटोग्राफ भी लिए जाने चाहिए। साक्ष्यों के एकत्रिकरण से केस मजबूत होगा, जो कि केस की गहन जाँच में बहुत ही सहायक होगा।

मुक्ति (रेस्क्यू) अभियान के लिए कौन जिम्मेदार होगा?
जिलाधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट (एसडीएम), शिकायतकर्ता की सहायता में।

साक्ष्य एकत्रित करने की जिम्मेदारी पुलिस/पुलिस फोटोग्राफर या जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी की होगी।

कार्यस्थल से लौटने के बाद मुख्य कार्यः

- ❖ प्रारंभिक जांच के बाद मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों और मुक्ति कार्य में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों एवं अन्य सहयोगियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना।
- ❖ मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों के रहने के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था करना।

जिला प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होगा और इस कार्य में जो भी खर्चा आएगा, वहन करेगा।

कार्य स्थल पर प्रारंभिक जांच के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखना चाहिएः

- ❖ कार्य स्थल चारदीवारी से घिरा या छिपा हुआ हो सकता है।
- ❖ तीसरे पक्ष का किसी भी तरह का प्रवेश बंद कर दिया जाना चाहिए।
- ❖ मोबाइल फोन, लैंडलाइन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों को जब्त किया जाना चाहिए।
- ❖ मुक्त कराये गए बंधुआ मजदूरों को उनके नियोक्ताओं (मालिक) और सहयोगियों से अलग–थलग रखा जाये, ताकि उन्हें बंधुआ मजदूरों को प्रभावित करने का कोई अवसर न मिले।

पुलिस और सरकारी अधिकारी/कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे।

कार्यस्थल पर जाँच के दौरान पूछताछ किस प्रकार होनी चाहिए ?

- ❖ मुक्त कराये गए बंधुआ मजदूर सामान्यतः बहुत जोखिमपूर्ण स्थिति में होते हैं। इसलिए उनके साथ बहुत ही सहानुभूति पूर्वक एवं संवेदनशील तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए।
- ❖ सबसे पहले, बंधुआ मजदूरों में विश्वास बनाने के लिए प्रयास होना चाहिए, क्योंकि वे अपनी जोखिमपूर्ण स्थिति के कारण, नियोक्ता (मालिक) और प्रशासनिक अधिकारियों दोनों को अविश्वास की भावना से देखते हैं।
- ❖ साक्षात्कार करते समय, बैठने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अधिकारी और मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूर दोनों ही सहज महसूस करें। यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उपरोक्त दोनों पक्ष गोलाई में बैठें।
- ❖ उनका साक्षात्कार बहुत ही सामान्य और सरल प्रश्नों के साथ प्रारम्भ करना चाहिए, जिसके माध्यम से कुछ हद तक उनकी वास्तविक स्थितियों का आंकलन किया जा सकता है।

साक्षात्कार में पूछे जा सकने वाले सामान्य प्रश्न

- आप कैसे हैं?
- आप इस कार्यस्थल पर कितने समय से काम कर रहें हैं?
- वर्तमान कार्य के अतिरिक्त क्या आप किसी अन्य कार्य में निपुण हैं?
- आपने अपने इस वर्तमान कार्य को क्यों चुना?
- क्या आपको कोई समस्या या आपने किसी भी प्रकार की समस्या का सामना किया?
- क्या आपकी आय, आपके दैनिक खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त है?

बंधुआ मजदूरों के साथ साक्षात्कार करने की जिम्मेदारी, इन्हें मुक्त कराने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों को सौंपी गई होती है, उन्ही की होगी; जैसे कि तहसीलदार/श्रम विभाग के कर्मचारी/अधिकारी

सातवाँ कदम : समरी ट्रायल

बंधुआ मजदूरों की मुक्ति के बाद कानूनी प्रक्रिया का प्रारम्भ बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976 में उल्लेखित समरी ट्रायल के माध्यम से होती है। समरी ट्रायल की प्रक्रिया को निम्नलिखित प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझा जा सकता है :

प्र0–1.	समरी ट्रायल को कौन निष्पादित करेगा
उ0–1.	''नामित मजिस्ट्रेट''
प्र0–2.	"नामित मजिस्ट्रेट'' कौन होंगा ?
उ0–2.	राज्य सरकार, ''बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976 के अंतर्गत होने वाले अपराधों के परीक्षण हेतु ''प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों से युक्त एक "कार्यकारी मजिस्ट्रेट'' प्रदान करती है।
प्र0–3.	ट्रायल कब शुरू होंगे ?
उ0–3.	बंधुआ मजदूरों की पहचान या उनकी मुक्ति (बचाव) के दिनांक से 24 घंटे के अंदर ट्रायल शुरू हो जायेगा।
प्र0–4.	यदि नामित मजिस्ट्रेट को समरी ट्रायल के दौरान किन्हीं अन्य कानूनों के अंतर्गत किए गए अपराधों का पता चलता है तो वह क्या कदम उठायेंगे?
उ0–4.	नामित मजिस्ट्रेट, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 322 और 323 के प्रावधानों के अनुसार, अपराधी को समरी ट्रायल में लायेंगे।
प्र0–5.	यदि पुलिस रिपोर्ट में अन्य कानूनों का उल्लंघन दिखाई देता है तो क्या किया जायेगा?
उ0–5.	नामित मजिस्ट्रेट पूरे मामले को केस रिकार्ड के साथ सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे।
प्र0–6.	समरी ट्रायल के पूरा होने की अवधि क्या है?
उ0–6.	समरी ट्रायल 3 महीने के अंदर सम्पन्न हो जाता है।

- ☞ आरोपी द्वारा किये गए किसी भी तरह के उत्पीड़न पर तुरंत कार्यवाही की जाए, यदि आरोपी फरार हो जाता है तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए।
- ☞ समरी ट्रायल के दौरान बंधुआ मजदूरों और गवाहों को सुरक्षा प्रदान की जाए।
- ☞ अपराधी को अधिकतम 03 वर्ष की सजा दी जा सकती है।
- ☞ दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आरोपी द्वारा जमानत एवं अपील का आवेदन सत्र न्यायाधीश के यहां दिया जा सकता है।

भाग-2

बंधुआ मजदूरों को मुक्त करने के लिए कुछ अन्य श्रम कानून

कई श्रम कानूनों में ऐसे प्रावधान हैं जो बंधुआ मजदूरों के केस में भी लागू किये जा सकते हैं। ऐसे कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करना, एक अपराधी द्वारा किया गया अपराध माना जायेगा; और तदनुसार बंधुआ मजदूरों को मुआवजा दिया जा सकता है। यह न्यूनतम मजदूरी और मुआवजे का भुगतान न करना, मातृत्व लाभ और अवकाश नहीं प्रदान करना आदि हो सकता है।

अन्य श्रम कानून

- न्यूनतम मजदूर अधिनियम, 1948
- खदान अधिनियम, 1952
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
- बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, यथा संशोधित, 2016
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
- संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970
- मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961

भाग–3

मुक्त कराये गए बंधुआ मजदूरों का पुनर्वासन

मुक्ति (रेस्क्यू) के पश्चात मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों का पुनर्वासन एक महत्वपूर्ण कार्य है। बंधुआ होने के कारण जहाँ एक ओर वे अपनी संपत्ति से अपना अधिकार खो देते हैं जो कि एक रिहाइशी मकान, खेती योग्य भूमि का छोटा सा टुकड़ा, पशु आदि हो सकता है, वहीं दूसरी ओर वे मनोवैज्ञानिक रूप से वंचित और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। अतः मुक्त कराये गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास का अर्थ होगा, उनको चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक एवं आर्थिक सहयोग प्रदान करना ताकि एक आजाद व्यक्ति की तरह उन्हें जीने का अधिकार वापस मिल जाए।

- बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन)–1976 की धारा 11 के अनुसार, सरकार द्वारा अधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त (विनिर्दिष्ट) अधिकारी मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूर के आर्थिक हितों को सुनिश्चित और संरक्षण देकर उसके कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे, जिससे कि उस बंधुआ मजदूर को बंधुआ ऋण लेने के लिए संविदा (समझौता) करने का कोई अवसर या कारण ना मिले।
- बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन)–1976 की धारा 14 (बी) और (सी) के अनुसार 'सतर्कता समिति' का मुख्य कार्य मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों की आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास करना और उन्हें पर्याप्त ऋण क्रेडिट की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों के साथ समन्वय स्थापित करना है।

मनोवैज्ञानिक पुनर्वासन	आर्थिक व सामाजिक पुनर्वासन
मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों के मनोवैज्ञानिक पुनर्वासन हेतु अन्तर्चेतना शिविर आयोजित किये जाने चाहिए, जिसके आयोजन में स्वयं सेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा सकता है, मनोवैज्ञानिक पुनर्वासन के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं – ● मुक्त महसूस करना और अपनी स्वतंत्रता की वास्तविक अनुभूति करना ● अबाध रूप से आवागमन की अनुभूति होना ● 'ऋणग्रस्ता की अनुभूति' का समाप्त होना ● आत्मविश्वास का महसूस होना ● मुखरता (अपनी बात को व्यक्त करना) ● अपने 'अधिकारों के संरक्षण' और 'अपने हितों' को सुनिश्चित करने हेतु तैयार होना ● 'सब कुछ भाग्य पर निर्भर है' और 'दूसरे लोगों पर ही निर्भरता की भावना' का दूर होना ● 'कानूनी संरक्षण तक पहुंच' का विश्वास होना ● अपनी इच्छानुसार दूसरों के साथ सहयोग करने की भावना का होना ● अपने प्रति सतत रूप से जागरूक होना अनुभूति और अनुभव करना कि वह समाज से अलग नहीं है; और अंततः 'मैं भी अपने अन्य साथियों की तरह ही एक इंसान हूँ'।	मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों के आर्थिक पुनर्वासन के लिए अति आवश्यक घटक निम्नलिखित हैं – ● मकान हेतु भूमि और कृषि भूमि का आवंटन कराना ● भूमि विकास में सहयोग देना ● कम लागत वाली आवासीय इकाइयों का प्रावधान कराना ● कृषि और बागवानी के कार्य से जोड़ना ● क्रेडिट (उपभोग ऋण सहित) दिलवाने में मदद करना ● पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, सुअर पालन, चारे की खेती आदि गतिविधियों से जोड़ना ● नए कौशल प्राप्त करने और मौजूदा कौशल को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण में सम्मिलित करना ● पारंपरिक कला और शिल्प को बढ़ावा देना ● रोजगार, न्यूनतम मजदूरी का प्रवर्तन ● लघु वनोपजों का संग्रह और प्रसंस्करण ● आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करना ● स्वास्थ्य, चिकित्सा देखभाल और स्वच्छता, आदि को सुनिश्चित करना ● बंधुआ मजदूरों के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना ● नागरिक अधिकारों के संरक्षण हेतु जागरूक करना।

कार्यक्रम और योजनाओं का रूपांतरण

बंधुआ मजदूरों को पुनर्वासित करने के लिए, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित निम्नलिखित कार्यक्रमों और योजनाओं का प्रभावी उपयोग करके उनकी गरीबी और शोषित होने की जोखिमता को कम किया जा सकता है।

- ✓ केंद्रीय सेक्टर बंधुआ मजदूरी पुनर्वास योजना (स्कीम) 2016
- ✓ महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
- ✓ इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- ✓ इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना
- ✓ अन्नपूर्णा योजना
- ✓ अटल पेंशन योजना
- ✓ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- ✓ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
- ✓ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
- ✓ दीन दयाल अन्तोदय योजना
- ✓ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना
- ✓ इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- ✓ राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
- ✓ प्रधानमंत्री जन धन योजना
- ✓ सुकन्या एवं समृद्धि योजना
- ✓ ग्रामीण डाक जीवन बीमा

केंद्रीय बंधुआ मजदूर पुनर्वास सेक्टर योजना (स्कीम), 2016 और अन्य योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी जिला अधिकारी, जिला प्रशासन और सम्बंधित विभाग के अधिकारियों की है।

केंद्रीय सेक्टर बंधुआ मजदूरी पुनर्वास योजना (स्कीम), 2016

केंद्र सरकार ने बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए एक नई योजना को मंजूरी दे दी है, जो की 17 मई 2016 से प्रभावी है। इस योजना के अंतर्गत निधियों का विवरण नीचे दिया गया है –

- ❖ मुक्ति के तुरंत बाद मजदूरों को 20000/– रुपये की अंतरिम राहत राशि दी जाएगी
- ❖ पुनर्वास पैकेज प्रति वयस्क पुरुष लाभार्थी : रु. 1,00,000 (एक लाख रुपए);
- ❖ विशेष श्रेणी के लाभार्थियों जैसे कि बच्चे जिनमें अनाथ बच्चे या वे बच्चे और महिलाएं सम्मिलित हैं, जिन्हें संगठित और जबरन भीख मंगवाने वाले समूह या अन्य प्रकार के बलात बाल श्रम से मुक्त कराया गया है : रु. 2,00,000 (दो लाख रुपए);
- ❖ अत्यंत वंचित बंधुआ मजदूर/ ट्रांसजेंडर / महिलाएं / लैंगिक दुर्व्यवहार या शोषण के शिकार बच्चे, और अलग प्रकार से सक्षम व्यक्ति (सामान्य रूप से अक्षम व्यक्ति) : रु. 3,00,000 (तीन लाख रुपए);

अन्य योजनायें :

- ❖ आवास हेतु भूमि और कृषि भूमि का आवंटन;
- ❖ भूमि विकास;
- ❖ कम लागत वाली आवासीय इकाइयों का प्रावधान;
- ❖ पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, सुअर पालन, चारे की खेती आदि;
- ❖ रोजगार, न्यूनतम मजदूरी का प्रवर्तन;
- ❖ लघु वनोपजों का संग्रह और प्रसंस्करण;
- ❖ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति;
- ❖ बच्चों के लिए शिक्षा।

भाग–4

सतर्कता समिति

बंधुआ श्रम प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976 के अनुसार सतर्कता समिति का गठन जिला और उप–खंड स्तरों पर होना है। सतर्कता समितियां बंधुआ मजदूरों की पहचान, बचाव और पुनर्वास की प्रक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका निभाती हैं। इसलिए, एक प्रतिबद्ध सतर्कता समिति, जो उचित रूप से उन्मुख और जागरूक है, देश में बंधुआ श्रम प्रथा के उन्मूलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। समिति की संरचना निम्न रूप से होती है –

जिला स्तरीय सतर्कता समिति की संरचना

- अध्यक्ष जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित व्यक्ति
- जिले के निवासी 02 सामाजिक कार्यकर्ता (सदस्य)
- जिले के निवासी अनुसूचित जाति/ जनजाति समुदाय के 03 व्यक्ति (सदस्य)
- जिले के ग्रामीण विकास से संबंधित सरकारी/ गैरसरकारी संस्थाओं के 03 प्रतिनिधि (सदस्य)
- जिले के वित्तीय और क्रेडिट संस्थानों से 01 प्रतिनिधि (सदस्य)

उप–खंड स्तरीय सतर्कता समिति की संरचना

- अध्यक्ष, उपखंड मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा नामित व्यक्ति
- उपखंड के निवासी 02 सामाजिक कार्यकर्ता (सदस्य)
- उपखंड के निवासी अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के 03 व्यक्ति (सदस्य)
- उपखंड के ग्रामीण विकास से संबंधित सरकारी/ गैरसरकारी संस्थाओं के 03 प्रतिनिधि (सदस्य)
- उपखंड के वित्तीय और क्रेडिट संस्थानों से 01 प्रतिनिधि (सदस्य)
- धारा 10 के अंतर्गत नामित एक अधिकारी (सदस्य)

जिला स्तरीय और उपखंड स्तरीय सतर्कता समितियों के प्रत्येक सदस्य को क्रमशः जिला मजिस्ट्रेट और उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किया जाता है। दोनों ही स्तरों की सतर्कता समितियों में

- ☞ सदस्य नामित होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे;
- ☞ वह अवधि समाप्त होने के बाद भी पद पर बने रहेंगे, जब तक कि नये सदस्य नामित नहीं हो जाते;
- ☞ वह फिर से नामित (नियमावली की धारा–3) किये जाने के पात्र होंगे।

सतर्कता समितियों के कार्य

- ❖ जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित किसी अधिकारी को बंधुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 1976 और इससे सम्बंधित नियमों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सलाह देना;
- ❖ मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए व्यवस्था करना;
- ❖ ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों के साथ बंधुआ मजदूरों को पर्याप्त ऋण क्रेडिट प्रदान करने के लिए समन्वयन करना;
- ❖ उन अपराधों की संख्या पर नजर रखना और रिकार्ड रखना, जिनका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन लिया गया है;
- ❖ बंधुआ मजदूर के मामलों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण आयोजित करना;
- ❖ एक मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूर (या उसके परिवार का सदस्य या उस पर निर्भर कोई अन्य व्यक्ति) के खिलाफ स्थापित किसी भी वाद का बचाव करना, जो कि एक लेनदार द्वारा किसी भी बंधुआ ऋण की वसूली के दावे के लिए किया गया हो;
- ❖ मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों के पते, उनके व्यवसाय, आय और आजीविका के साधन आदि की जानकारी हेतु एक रजिस्टर रखना।

भाग–5

मानक संचालन प्रक्रिया का सारांश

1	शिकायत	● किसी भी व्यक्ति के द्वारा जिलाधिकारी (डीएम), उपखण्ड मजिस्ट्रेट (एसडीएम) / पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराया जा सकता है; ● डीएम / एसडीएम / पुलिस द्वारा शिकायत प्राप्ति की रसीद जारी की जायेगी।	
2	मुक्ति (रेस्क्यू)	● प्रथम सूचना रिपोर्ट **(FIR)** की गोपनीयता सुनिश्चित की जायेगी; ● बहु–विषयी मुक्ति (रेस्क्यू) दल का गठन किया जायेगा; ● बंधुआ मजदूर के बचाव स्थान को सुरक्षित किया जायेगा; ● मुक्त किए गए मजदूरों से कुछ सवाल पूछे जायेंगे; जैसे– अग्रिम वेतन, स्वतन्त्र आवागमन आदि; ● निम्नलिखित वस्तुओं को जब्त किया जायेगा; मोबाइल फोन, यात्रा टिकिट / दस्तावेज, आवास की रसीदें, बैंक विवरण के कागजात, वेतन की रसीदें, पर्ची और रजिस्टर, मस्टररोल, लेजर बुक, बाँड समझौते, नोटबुक, नकद, हथियार, ताले, स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज, लीज और लाइसेंस आदि; ● अपराधी को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1976 (**Cr.P.C.**) के अनुसार गिरफ्तार किया जायेगा; इसके बाद मुक्त कराये गये मजदूर को सुरक्षित स्थान पर लाया जाएगा और अपराधी को श्रमिकों के साथ कोई संपर्क करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।	
3		**विषय**	**जिम्मेदारी**
	पूछताछ	भोजन, आश्रय और सुरक्षा जैसी तात्कालिक सहायता	डीएम / एस.डी.एम.
		न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के उल्लंघन पर कार्यवाही।	श्रम अधिकारी

		● 24 घंटे के भीतर बंधुआ मजदूरी से मुक्त होने का प्रमाण पत्र जारी करना; ● नकद सहायता और चिकित्सीय परीक्षण।	डी.एम. / एस.डी.एम.
4	प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर	● अन्य कानूनों के उल्लंघन पर 24 घंटे के भीतर एफआईआर (Cr.P.C. 154) दर्ज होगी; ● प्रासंगिक दस्तावेज जैसेः चिकित्सीय परीक्षण प्रमाण पत्र, बंधुआ मजदूरी से मुक्त होने का प्रमाण पत्र (रिलीज सर्टिफिकेट), जाँच रिपोर्ट की उपलब्धता सुनिश्चित कराना	डी.एम. / एस.डी.एम.
5	समरी ट्रायल	● कार्यकारी मजिस्ट्रेट बंधुआ मजदूरी के पहचान और बचाव (रेस्क्यू) के 24 घंटे के भीतर ट्रायल का प्रारम्भ करेंगे; ● अन्य कानूनों के अंतर्गत भी आरोप लगाया जा सकता है; ● समरी ट्रायल तीन महीने के भीतर पूरा कर लिया जायेगा।	डी.एम. / एस.डी.एम.
6	ट्रायल कार्यवाही	● पीड़ित (बंधुआ मजदूर) और गवाह को सुरक्षा प्रदान की जायेगी; ● यदि आरोपी फरार हो जाते हैं, तो संपत्ति संलग्न (जब्त) की जायेगी।	डी.एम. / एस.डी.एम.
7	साक्ष्य	● दस्तावेजी और मौखिक दोनों तरह के साक्ष्य दर्ज किये जायेंगे।	डी.एम. / एस.डी.एम.
8	समरी ट्रायल में फैसला और दंड	न्यायिक फैसला, एक पदनामित मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जायेगा और न्यायिक फैसले में निम्नलिखित आवश्यक तत्व दर्ज किये जायेंगे – ● केस की क्रम संख्या; ● अपराध के होने की तिथि; ● रिपोर्ट या शिकायत की तिथि ● शिकायतकर्ता का नाम (यदि कोई हो); ● अभियुक्त का नाम, माता–पिता और निवास की जानकारी	डी.एम. / एस.डी.एम.

		● अपराध जिसके होने की शिकायत दर्ज की गयी है; ● अभियुक्त की याचिका और याचिका की परीक्षा का विवरण (यदि कोई हो); ● जाँच का परिणाम / निष्कर्ष; दंड या अन्य अंतिम आदेश (धारा– 16–20); ● समाप्ति किये गये ऋण की राशि, जिसे देने के दायित्व की समाप्ति की गई; ● बंधक मुक्त की सीमा (धारा–7); ● वह तिथि जिस दिन कार्यवाही समाप्त हुई; ● सुपुर्दगी सम्बन्धी आदेश (यदि कोई हो)।	
9	मजदूर का हितलाभ	● आधार कार्ड,और राशन कार्ड, ● जाति प्रमाणपत्र, मतदाता पहचान पत्र, ● मनरेगा, ● भूमि का पट्टा, ● सरकारी स्वास्थ्य बीमा, ● कोई अन्य प्रासंगिक या आवश्यक दस्तावेज, ● मुक्ति प्रमाणपत्र को पहचान का प्रमाण माना जायेगा, ● मुक्त कराये गए बंधुआ मजदूरों के उत्थान के लिए उन्हें अन्म लाभ भी प्रदान किये जायेंगे, ● प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा मुक्त कराये गए बंधुआ मजदूरों की चिकित्सकीय जांच की जायेगी।	डी.एम. / एस.डी.एम.
10	प्रत्यावर्तन (रिपेट्रीएशन)	● यदि मजदूर की सहमति हो तो बचाव (रेस्क्यू) की तारीख से 24 घंटे के भीतर उसका प्रत्यावर्तन किया जायेगा, ● बचाव (रेस्क्यू) के दौरान समन्वयन का कार्य, ● भोजन, आश्रय, परिवहन और सुरक्षा प्रदान करना, ● पुनर्वास स्थान के अधिकारियों के साथ समन्वय करना।	डी.एम. / एस.डी.एम.

भाग–6

चुनौतियां एवं सुझाव

व्यवहारिक उपायों के द्वारा बंधुआ मजदूरों की कई समस्याओं का समाधान करके उनकी स्थितियों में सुधार किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ दृष्टान्त, उदहारण के रूप में नीचे दिये जा रहें हैं :

क्र.सं.	समस्या	सुझाव
1	बंधुआ मजदूरों की पहचान/चिन्हीकरण की प्रक्रिया मंद पड़ गयी है।	• मीडिया को जागरूक करना होगा और बंधुआ मजदूरी की घट्नाओं के बारे में व्यापक रिपोर्टिंग करनी होगी।
2	बंधुआ मजदूर की परिभाषा के बारे में आम जनता एवं विशेष रूप से सरकारी लोगों में भ्रम की स्थिति है।	• बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम,1976 और अन्य सम्बंधित विषयों पर व्यापक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिये।
3	बंधुआ मजदूरी के बारे में मुख्य्‍ हितधारकों में जागरूकता की कमी, जैसे • डी.एम., एस. डी. एम. और पुलिस • गैर सरकारी संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और आम जनता • ट्रेड यूनियनों, आदि जो सही तरीके से जागरूक नहीं हैं।	• सेमिनार, कार्यशालाओं और बैठकों के माध्यम से सभी हितधारकों को व्यवस्थित तरीके से सम्मिलित करते हुए बड़े पैमाने पर जागरूकता की आवश्यकता है।
4	सतर्कता समिति के सदस्य भी ठीक से उन्मुख नहीं हैं	• सतर्कता समिति के सदस्यों का चयन सही तरीके से होना चाहिए और साथ ही उनके पास कुछ बुनियादी योग्यता और पात्रता भी होनी चाहिए। • सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
5	विभिन्न हितधारकों के बीच तदर्थवाद (बंधुआ मजदूरी के मुद्दे और संबंधित जिम्मेदारियों के प्रति अनौपचारिक/लापरवाह होना) की भावना व्याप्त है	• बंधुआ श्रम से संबंधित गतिविधियों को प्रत्येक स्तर पर सही तरीके से लागू करके तदर्थवाद की भावना को समाप्त किया जा सकता है।

क्र.सं.	समस्या	सुझाव
6	बंधुआ मजदूरी की अद्रश्यता (बंधुआ मजदूरी की रिपोर्टिंग बहुत ही कम या बंद हो जाये)	● जिन क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरी की घटनाएं अधिक हैं, वहां की मैपिंग की जानी चाहिए। ● व्यवसायों की पहचान की जानी चाहिए।
7	बंधुआ मजदूरों के उत्थान के लिए बनाये गए विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं में अभिसरण/ समन्वयन (कन्वर्जेन्स) का अभाव है।	योजनाओं के मध्य अभिसरण/समन्वयन (कन्वर्जेन्स) के कार्यक्रमों को प्रारंभ करने के लिए सतर्कता समिति के अधीन एक कार्यबल का गठन किया जाना चाहिए।
8	अन्य संगठनों से संगठनात्मक एवं तकनीकी सहयोग नहीं लिया जा रहा है, जैसे– तकनीकी, शैक्षणिक और अनुसंधान, प्रशिक्षण संस्थान एवं एनजीओ आदि।	● डीएम / एसडीएम और सतर्कता समितियों द्वारा इन संस्थानों को बंधुआ मजदूरी पर होने वाली चर्चाओं में सम्मिलित करने का प्रयास किया जाना चाहिए; ● संगोष्ठी, कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए।
9	पंचायती राज, महिला मंडल जैसे जमीनी स्तर के संगठनों को ठीक से जोड़ा (रोपित) नहीं गया है।	● पंचायती राज संस्थानों को बंधुआ मजदूरों की पहचान, बचाव (रेस्क्यू) और पुनर्वास की प्रक्रिया में सम्मिलित करना और उन्मुख करना चाहिए।
10	वर्तमान में, बंधुआ श्रम प्रणाली की जांच करने के लिए शोध अध्ययन नहीं किया जाता है।	● बंधुआ श्रम प्रथा की जांच करने के लिए शोध अध्ययन में 'शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थान जैसे, वी.वी. गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट' नोएडा, 'दत्तोपंत थेंगडी नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट' रोहिणी और राज्य स्तरीय श्रम संस्थानों को सम्मिलित करना चाहिये।

क्र.सं.	समस्या	सुझाव
11	बंधुआ मजदूरों की रिहाई और पुनर्वासन के मुद्दे पर काम करने वाले संगठनों की अनुपलब्धता।	• ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित ट्रेड यूनियनों को, स्थानीय स्तर पर बंधुआ मजदूरों को यूनियनों को बनाने में सम्मिलित होना चाहिए।
12	बंधुआ मजदूर के उन्मूलन के पक्ष में, मुखर रूप से बात करना (एडवोकेसी) और जागरूकता अभियान के अभाव की स्थिति	• इस मुद्दे पर एडवोकेसी और जागरूकता अभियान जैसे क्रियाकलापों को जिला प्राधिकरण, सतर्कता समिति और सिविल सोसाइटियों द्वारा किया जाना चाहिए।
13	बंधुआ मजदूरों के बीच जागरूकता का अभाव।	• मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों के लिए विशेष श्रम शिविर का आयोजन किया जाना चाहिए और उनमें नेतृत्व कौशल का समावेश होना चाहिए • उन्हें व्यवसायिक कौशल का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए।
14	बंधुआ मजदूरी से पूरी तरह मुक्त मजदूरों (मुक्त हो चुके श्रमिक) द्वारा बंधुआ मजदूर और उनकी रिहाई से सम्बंधित किसी भी गतिविधि में सम्मिलित न होना।	• मुखर और पूरी तरह से बचाये जा चुके बंधुआ मजदूरों (मुक्त हो चुके श्रमिक) के अनुभवों का का उपयोग, प्राधिकरणों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा किया जाना चाहिए।

भाग–7

फ्लो चार्ट

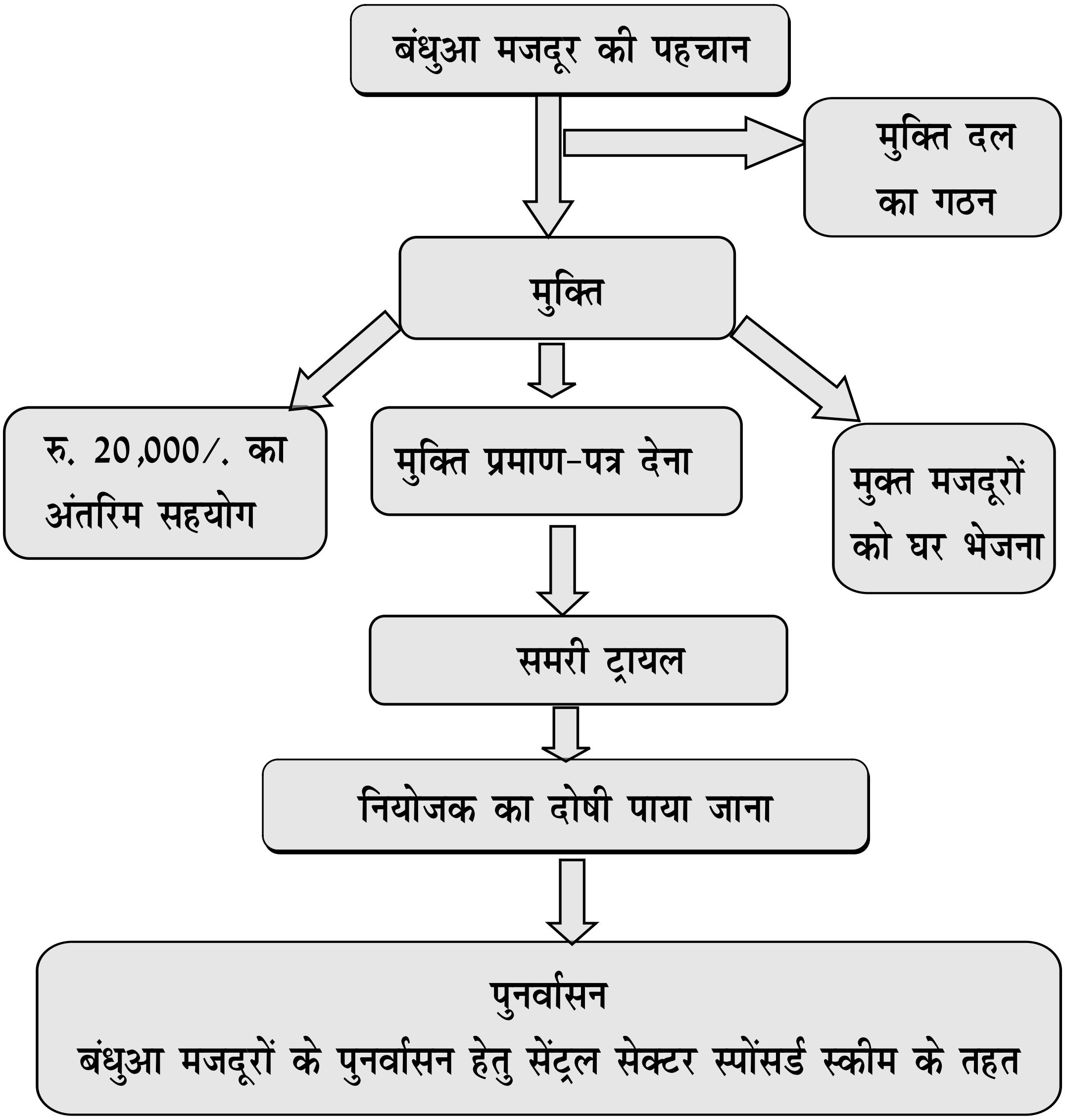

पाठकों हेतु अतिरिक्त सूचना-दोषी की जमानत हेतु आवेदन एवं मामले की अपील दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत सत्र न्यायाधीश के समक्ष की जायेगी।

बंधुआ मजदूर की पहचान, मुक्ति और पुनर्वास हेतु टूलकिट

Human Liberty Network

ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क, उत्तर प्रदेश

दूरभाष : 9012640281,
ई–मेल : humanlibertynetwork18@gmail.com
वेबसाइट : www.humanlibertynetwork.org